



महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)
मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.)
अंकसूची/डिग्री(उपाधि)/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट(प्रमाण पत्र) नाम संशोधन हेतु आवेदन

नोट – पूर्ण रूप से भरे आवेदन संलग्नकों सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें।

प्रति –

उपकुलसचिव (परीक्षा)
सी.एम.सी.एल.डी.पी.
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट, सतना, मध्यप्रदेश – 485334.

विषय :में नाम संशोधन हेतु आवेदन।

(अंकसूची/डिग्री(उपाधि)/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट(प्रमाण पत्र)

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम हिन्दी में (आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र अथवा शासन द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज जिसमें हिन्दी में पूरा नाम दर्ज हो अनुसार) :
2. छात्र/छात्रा का पूरा नाम अंग्रेजी में 10वीं के आधार पर (कैपिटल लेटर) :
3. पिता/पति का नाम 10वीं के आधार पर (कैपिटल लेटर) :
(यदि पिता की जगह पति का नाम दर्ज कराना हो तो रु.100/- के स्टाम्प पर अनिवार्यतः शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेज)
छात्र/छात्रा का मो. नं. :
4. पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक :

(अ) वर्ष का नाम जिसकी अंकसूची में संशोधन चाहते हैं :

प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष या तीनों वर्षों की

(ब) 10वीं के आधार पर नाम संशोधन : (i) छात्र के नाम या उपनाम की स्पेलिंग में

(ii) पिता/पति के नाम या उपनाम की स्पेलिंग में

(स) डिग्री(उपाधि)/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट(प्रमाण पत्र) के संशोधन हेतु नाम

(i) अंग्रेजी में नाम संशोधन 10वीं अंकसूची के आधार पर

(ii) हिन्दी नाम संशोधन हेतु शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर

5. नाम/उपनाम संशोधन हेतु शुल्क राशि रु.100/- मात्र सी.एम.सी.एल.डी. कोर्स, खाता क्रमांक – 34470972397 आई.एफ.एस. कोड – **SBIN0016748** में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा में जमा कर मूल पर्ची आवेदन के साथ संलग्न।

6. संलग्नक :

1. संशोधन हेतु प्राप्त अंकसूची/डिग्री(उपाधि)/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट(प्रमाण पत्र) की मूल प्रति।
2. 10वीं की अंकसूची।
3. जमा शुल्क रु.100/- की मूल पर्ची।
4. हिन्दी नाम संशोधन हेतु आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र अथवा शासन द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज जिस पर हिन्दी नाम पूर्ण एवं सही से लिखा हो उसकी छाया प्रति।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा पता (पिन कोड व मो.नं. सहित):-